न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक,नीमकाथाना जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी : अन्जु शर्मा,आर.ए.एस

वाद संख्या 465/2017

उनवान

1. मृतक रामधन

1/1. सुन्दरी देवी पत्नी रामधन

1/2. भंवराराम पुत्र रामधन (मृतक)

1/2/1. मूर्ती देवी पत्नी भंवराराम

1/2/2. सन्दीप पुत्र भंवराराम

1/2/3. बबली पुत्री भंवराराम पत्नी प्रेमप्रकाश जाति गुर्जर निवासी खेडी तहसील कोटकासिम जिला अलवर

1/3. रामनिवरास पुत्र रामधन

1/4. धर्मपाल पुत्र रामधन

1/5. फूलाराम पुत्र रामधन

समस्त जाति गुर्जर निवासी नानगवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

2. मूलाराम पुत्र धीसाराम जाति गुर्जर निवासी नानगवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

.........वादीगण......

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र प्रभूसिंह जाति राजपुत निवासी रायपुर पाटन
2. राजबाला पुत्री लखसिंह पत्नी गजराज सिंह जाति राजपुत निवासी बागोली
3. जसवन्तसिंह पुत्र स्व. किशनसिंह
4. रूपसिंह पुत्र स्व. किशनसिंह
5. कबूलसिंह पुत्र स्व. किशनसिंह
6. दलिपसिंह पुत्र स्व. नाथूसिंह
7. मीटूसिंह पुत्र स्व. नाथूसिंह
8. देशराज सिंह पुत्र स्व. नाथूसिंह
9. अजीतसिंह पुत्र स्व. नाथूसिंह
10. विजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. नाथूसिंह
11. मु.सरतकंवर बेवा स्व. नाथूसिंह
12. प्रहलादसिंह पुत्र स्व. गोविन्दसिंह
13. भंवरसिंह पुत्र अन्नेसिंह
14. विरजूसिंह उर्फ गपेसिंह पुत्र अन्नेसिंह

..............2.........

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक नीमकाथाना

Scanned by CamScanner

15. मालाराम पुत्र स्व. बचनसिंह
16. गोदाराम पुत्र स्व. बचनसिंह
समस्त जाति राजपुत निवासी रायपुर पाटन जिला सीकर
17. प्रेम पुत्री स्व. नन्दसिंह पत्नी विजेन्द्र सिंह
18. रामा पुत्री स्व. नन्दसिंह पत्नी जतनसिह जाति राजपुत निवासी गढी (खडखडी) तह. बानसूर
19. गुटी बेवा हुकमसिंह
20. पुनम पुत्री स्व. हुकमसिंह
21. नाथूसिंह पुत्र सुगनसिंह
22. सन्तूसिंह पुत्र गुलाब सिंह
23. बजरंगसिंह पुत्र गुलाब सिंह
24. पप्पूसिंह पुत्र गुलाब सिंह
25. अचरज कंवर बेवा गुलाब सिंह
26. बिमला बेवा स्व. कैलाशसिंह
27. पिन्दूसिंह पुत्र स्व. कैलाशसिंह
28. नरेश सिंह पुत्र स्व. कैलाशसिंह
29. विकाश सिंह पुत्र स्व. कैलाशसिंह
समस्त जाति राजपुत निवासी रायपुर पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
30. सीमा कंवर पुत्री स्व. कैलाशसिंह पत्नी मुकेश सिंह जाति राजपुत निवासी भैसलाना तहसील कोटपुतली जिला जयपुर
31. सब रजिस्ट्रार नीमकाथाना
32. पटवारी हल्का रायपुर पाटन

.........प्रतिवादीगण.......

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः—श्री गंगाराम गुर्जर अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांकः— 26-8-2019

संक्षेप वाक्यात दावा वादीगण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर पाटन तहसील नीमकाथाना की भूमि खसरा नम्बर 1328/1418 रकबा 0.70 हे. ख.न. 1329 रकबा 0.29 हे. की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 30 के नाम अंकित है। वादीगण के दादा ईश्वर के मामा का लडका शिवनाथ था जो वादीगण के दादा का हमउम्र था जो शुरू से वादीगण के दादा के साथ रहता था एवं वादीगण के दादा ईश्वर का देहान्त होने के पश्चात वादीगण के पिता घीसा के साथ रहने लग गया। वादीगण के पिता घीसा से बडा था एवं परिवार के मुखिया की हैसियत से उसे परिवार में मान्यता दे रखी थी जिसके कारण परिवार के एवं राजकीय कार्य शिवनाथ ही करता था। सैटलमेन्ट के समय वादीगण का पिता घीसा एवं स्व. शिवनाथ वादग्रस्त भूमियों को काश्त करता था जिसके कारण खसरा गिरदावरियो में उयका नाम दर्ज होने लग गया किन्तु जमाबंदी बनाये जाने के समय गलत तौर से उक्त भूमियो की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1ता 30 एवं इनके पूर्वजो के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गयी जबकि प्रतिवादीगण एवं इनके पूर्वजो ने उक्त भूमियो को कभी काश्त नही किया ना ही कभी कब्जा रहा। वादीगण के पिता घीसा का देहान्त होने के पश्चात भूमि खसरा न0 1328/1418

.........3..........

सहायक कलेक्टर
फास्ट ट्रैक नीमकाथाना

Scanned by CamScanner

रकबा 0.70 हे. को वादी सं. 1 एवं भूमि ख.न. 1329 रकबा 0.29 हे को वादी संख्या 2 काश्त करने लग गया। उक्त भूमियो के मध्य में स्थित सिवाय चक भूमि में वादीगण ने शामलाती खर्चे से चाह का निर्माण कर सिचाई के लिए अलग अलग इंजन स्थापित कर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की अन्य भूमियां उक्त भूमियो के पास होने के कारण सहवन से उक्त भूमियो की खातेदारी दर्ज हों गयी। जिसकी बाबत वादीगण को कभी कोई जानकारी नही हो सकी। कुछ समय पूर्व से भूमियों की कीमतो में वृद्वि होने व राज्स सरकार द्वारा विकास के लिये ऋण सुविधाए उपलब्ध कराये जाने की योजनाओ को प्रचलित करने के कारण प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई एवं दिनांक 15.2.2011 को वादीगण के कब्जे काश्त की भूमियो में लगी मेड की छडियो की बाड को हटाकर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हो गये एवं वादग्रस्त भूमियो को विकय कर खातेदारी परिवर्तन कराने की धमकी दी है जबकि वादीगण को उक्त भूमियो की बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। वाद कारण प्रतिवादीगण सं. 1 ता 30 द्वारा दिनांक 15.2.2011 को उक्त भूमियों में वादीगण के शांति पूर्ण उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न करने,बेदखल करने,भूमि पर ऋण भार बढाने,भूमि विकय करने की धमकी देने से अन्दर न्यायालय पैदा हुआ है। अत. दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जावे कि ग्राम रायपुर पाटन तहसील नीमकाथाना मे स्थित भूमि ख.न. 1328/1418 रकबा 0.70 हे. का वादी सं.1 एवं भूमि ख.न. 1329 रकबा 0.29 हे. का वादी संख्या 2 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें।

वादीगण की और से वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्ट्रर करवाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1,3,4,12,14,16,18 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्य वादी में वादीगण रामनिवास पुत्र रामधन व मूलाराम पुत्र घीसाराम के शपथ पत्र एवं बतौर गवाह हरिराम पुत्र सुरजा व लीलाराम पुत्र दुला के शपथ पत्र प्रस्तुत हुये। बहस वकील वादीगण सुनी गई।

दौराने बहस वकील वादीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी मद न 1 वादपत्र की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 30 के नाम दर्ज है। वादीगण वादग्रस्त आराजी पर अपने पूर्वजो के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा। सैटलमैन्ट के समय प्रतिवादीगण के पूर्वजो का नाम सहवन से जमाबंदी में दर्ज हो गया जबकि उनके द्वारा कभी भी काश्त नही की गई ना ही उनका कभी कब्जा रहा। खसरा गिरदावरी पेश की है जिसमें वादीगण के पिता का नाम दर्ज है। वादीगण अपने पिता के समय से काश्त करते आ रहे है। वादीगण के पिता का देहान्त हो गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1,3,4,12,14,16,18 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो न्यायालय मे तस्दीक हो चुका है शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे है उनकी और से भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। पडोसी खातेदारान के शपथ पत्र पेश किये है जिससे दावा वादीगण साबित होता है। अतः दावा वादीगण डिकी किया जावें

........4........

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक नीमकाथाना

Scanned by CamScanner

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण पर गौर किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वंत 2056 से 2059 ग्राम रायपुर पाटन के अवलोकन से पाया गया कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 1328/1418 रकबा 0.70 हे व ख.न. 1329 रकबा 0.29 हे के साथ साथ अन्य खसरा नम्बरान की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वंत 2013 से 2015 के अवलोकन से पाया गया कि उक्त खसरा गिरदावरियो में ना तो वादीगण के दादा के नाम व ना ही वादीगण के पिता के नाम काश्त का इन्द्राज है एवं ना ही वादीगण की कोई काश्त दर्ज है। इसके अतिरिक्त वादीगण ने ऐसा कोई रेकार्ड एवं दस्तावेजी साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नही किया है जिससे वादी स. 1 का भूमि ख.न. 1328/1418 रकबा 0.70 हे.पर एव वादी सं 2 का भूमि ख.न. 1329 रकबा 0.29 हे. अवस्थित ग्राम रायपुर पाटन पर लगातार कब्जा काश्त साबित होता हो। केवल मात्र प्रतिवादीगण संख्या 1,3,4,12,14,16,18 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण को विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधि सम्वत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण साबित नही होने से खारीज किया जाता है। तद्वानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीव हो।

निणय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अन्जु शर्मा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक नीमकाथाना

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक नीमकाथाना

Scanned by CamScanner